वासदेव और भजवानी

बनाम

अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य

(2018 का सिविल अपील नं 11020) सितम्बर 02, 2019

[माननीय न्यायमूर्तिगण आर.एफ. नरिमन और सूर्या कांत]

सीमा अधिनियम, 1963

एस. 23 और अनुच्छेद 137 – सीमा अधिनियम्की प्रयोज्यता – धारा 7 के तहत दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के आवेदन- यह लागू आदेश मे आयोजित किया गया कि जैसा कि डीफाल्ट जारी रहा , सीमा की कोई अवधि लागू नही होगी – सर्वोच्च न्यायालय से अपील – माना- सीमा अधिनियम धारा 7 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होता है - डिफ़ॉल्ट की तारीख से 3 साल के बाद दायर की गई धारा 7 के तहत याचिका, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत वर्जित होगी - सीमा अधिनियम की धारा 23 के आधार पर नही बचाया जायेगा – सीमा अधिनियम – अपील की अनुमति - दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 एस 7 ।

बी.के एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग

गुप्ता एंड एशोसिएशन, 2018 (14) स्केल 482;

बालकृष्ण साबल्राम पुजारी और अन्य

बनाम

श्री ज्ञानेश्वर महारज संस्थान औए अन्य, [1959]

सप्ल 2 एस.सी.आर. 476 – पर भरोसा किया ।

केस कानून संदर्भ 2018 (14) स्केल 482 पैरा 3 [1959]सप्लिमेंट 2 एस.सी.आर. 476 पैरा 4 पर निर्भर है ।

सिविल अपील न्यायाधिकरण : 2018 का सिविल अपील नं 11020

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय के निर्णय और आदेश दिनांक 5.9.2018 से कम्पनी अपील (एटी) (दिवाला) संख्या 372/2018 ट्रिब्यूनल नई दिल्ली

अपीलार्थी के सलाहकार:- आनंद लैंडगे, जय किशोर सिंह

उत्तरदाताओं के सलाहकार:- राजीव के पांडे, राजीव महेश्वरानंद रॉय, पी श्रीनिवासन, हृषीकेश चितले, आशीष वर्मा, चंद्र प्रकाश।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायमूर्ति आरएफ नरिमन, द्वारा दिया गया था

1. वर्तमान मामले के तथ्यों में , प्रासंगिक समय पर, 6.7 करोड़ रुपये का डिफ़ॉल्ट प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ पाए गए। प्रतिवादी नंबर 2 को 23.12.1999 को अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा एनपीए घोषित किया गया था। अंततः इस राशि के लिए दिनांक 24.12.2001 को एक वसूली प्रमाणपत्र जारी किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 21.07.2017 को एनसीएलटी के समक्ष एक धारा 7 याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि ब्याज सहित यह राशि , जो 1998 से टिकती रही, प्रतिवादी को ऋण के रूप मे देय थी क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 को दिया गया ऋण मूल रूप से सौंपा गया था , और, 2006 में एक अन्य सहकारी बैंक के साथ विलय के कारण, प्रतिवादी एक वित्तीय ऋणदाता बन गया, जिस पर ये पैसे बकाया थे। धारा 7 के तहत एक याचिका एनसीएलटी द्वारा 05.03.2018 को स्वीकार की गई थी, जिसमें कहा गया था कि डिफ़ॉल्ट जारी रहने के कारण, कोई सीमा अवधि संलग्न नहीं होगी इसलिए स्वीकार करना होगा ।

2. एनसीएलएटी में दायर की गई अपील 05.09.2018 को यह कहते हुए खारिज कर दी गई कि चूंकि वर्तमान मामले में कार्रवाई का कारण जारी था , इसलिए कोई सीमा अवधि संलग्न नहीं होगी। आगे यह माना गया कि 2001 का रिकवरी प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोई चूक हुई है और कोई स्थिर बचाव नहीं है।

3. दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद , हमारा विचार है कि यह बी.के एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम पराग गुप्ता एंड एसोसिएट्स , 2018 (14) स्केल 482, पैरा 27 में हमारे हालिया फैसले द्वारा कवर किया गया मामला है। निम्नलिखितानुसार:-

   "27. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चूंकि सीमा अधिनियम संहिता की शुरुआत से ही संहिता की धारा 7 और 9 के तहत दायर आवेदनों पर लागू होता है, इसलिए सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 लागू होता है।

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इसलिए, "मुकदमा करने का अधिकार" तब प्राप्त होता है जब कोई चूक होती है। यदि आवेदन दाखिल करने की तारीख से तीन साल पहले डिफ़ॉल्ट हुआ है, तो आवेदन को सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, उन मामलों को छोड़कर, जहां मामले के तथ्य देरी को माफ करने के लिए परिसीमन अधिनियम की, धारा 5 लागू होती है। ऐसे आवेदन दाखिल करने में लागू किया जा सकता है।"

4. पैरा 27 से बाहर निकलने के लिए यह आग्रह किया जाता है कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 23 लागू होगी जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान मामले में लिमिटेशन **वासदेव और भजवानी बनाम अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड और अन्य** से बचा जा सकेगा। इस विवाद का प्रभावी ढंग से बालकृष्ण सावलराम पुजारी और अन्य बनाम श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान और अन्य, [1959] पूरक मामले में इस न्यायालय के तीन विद्वान न्यायाधीशों के फैसले से उत्तर दिया गया है। (2) एससीआर 476। इस मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया:

"... .... इस तर्क से निपटने में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि धारा 23 निरंतर जारी रहने वाले सही को नहीं बल्कि निरंतर गलत को संदर्भित करता है। यह निरंतर गलत का सार है कि यह एक ऐसा कार्य है जो चोट का एक निरंतर स्रोत बनाता है और उस कार्य के कर्ता को उक्त चोट की निरंतरता के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी बनाता है। यदि गलत कार्य के कारण पूर्ण चोट लगती है, तो कोई भी गलत कार्य जारी नहीं रहेगा, भले ही कार्य से होने वाली क्षति जारी रह सकती है। तथापि, यदि कोई गलत कार्य इस प्रकार का है कि उससे होने वाली क्षति स्वयं जारी रहती है तो वह कार्य निरंतर चलने वाला गलत कार्य है। इस संबंध में गलत कार्य के कारण हुई चोट और उक्त चोट के प्रभाव के रूप में वर्णित के बीच अंतर करना आवश्यक है। धारा 23 केवल उन कृत्यों के संबंध में ही लागू की जा सकती है, जिन्हें उचित रूप से जारी गलतियों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस प्रकार यह मानना मुश्किल है कि वंशानुगत उपासकों के रूप में गुरवों के कथित अधिकारों को पूरी तरह से नकारने और 1922 में उनके मुकदमे के द्वारा उन पर दावा करने और उनसे कब्ज़ा प्राप्त करने में ट्रस्टियों का कार्य लगातार गलत था। उक्त मुकदमे में ट्रस्टियों द्वारा प्राप्त डिक्री ने अपीलकर्ताओं के अधिकारों को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से घायल कर दिया था, हालांकि उक्त डिक्री से होने वाली क्षति बाद में भी जारी रही..." (पृष्ठ 496 पर)

इस निर्णय के बाद, यह स्पष्ट है कि जब रिकवरी प्रमाणपत्र दिनांक 24.12.2001 को जारी किया गया था, इस प्रमाणपत्र में अपीलकर्ता के अधिकारों को प्रभावी ढंग से और पूरी तरह से घायल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सीमाएं टिक-टिक होना शुरू हो गईं।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. यह मामला होने के कारण, और वर्तमान मुकदमे में दावा कालातीत होने के कारण, कोई भी ऋण देय नहीं है और कानूनन देय नहीं है। हम अपील की अनुमति देते हैं और एनसीएलटी और एनसीएलएटी के आदेशों को रद्द करते हैं। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

<u>अस्वीकरण</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निबंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"